प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 17–18 दिसम्बर, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17–18 दिसम्बर, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, राजस्व संग्रहण आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

SBM -

Community Toilet :–

- समीक्षा के क्रम में पटना नगर निगम, जहाँ 6310 सीट का निर्माण होना है। गत 3 माह से एक समान प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है। निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर सामुदायिक शौचालय में किये गये कार्य के अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण में तेजी लाकर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।
- गया नगर निगम का लक्ष्य 4608 है। नगर आयुक्त, गया द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मात्र 651 सीट का निर्माण होना है, शेष IHHL से कवर कर लिया गया है। कुछ लाभार्थी को PMAY योजना से लाभ प्राप्त हो चुका है। निदेश दिया गया कि जितने भी लाभुकों को अन्य योजनाओं से लाभ प्राप्त हो चुका है, उनकी संख्या प्रगति प्रतिवेदन में शामिल किया जाय।
- बगहा का लक्ष्य 4031 था। कार्यपालक पदाधिकारी बताया गया कि रि–सर्वे कराकर लक्ष्य को 3800 किया गया है। बेतिया राज एवं रेलवे की जमीन होने के कारण शौचालय निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। पूर्व में निदेश दिया गया था कि जितने भी लाभार्थी बेतिया राज की जमीन पर हैं, उनका प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजा जाए। साथ ही इस संबंध में अपने जिला पदाधिकारी से भी समन्वय स्थापित किया जाय, किन्तु बेतिया राज की जमीन पर शौचालय निर्माण का प्रस्ताव अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं करवाया गया है। इस पर खेद प्रकट किया गया तथा इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही हेतु 'प्रपत्र–क' गठित करने का निदेश दिया गया।
- दरभंगा नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, बिहारशरीफ नगर निगम, मधेपुरा नगर परिषद, मोकामा नगर परिषद, किशनगंज नगर परिषद, डी–डालमियानगर नगर परिषद, बक्सर नगर परिषद, बेगूसराय नगर निगम, मोतिहारी नगर परिषद, विक्रमगंज नगर परिषद, बखरी नगर पंचायत, भागलपुर नगर निगम, छपरा नगर निगम, पूर्णिया नगर निगम, सुल्तानगंज नगर परिषद का सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य की अपेक्षा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण काफी कम हुआ है। जिन निकायों द्वारा अभी तक निर्माण हेतु जमीन चिन्हित नहीं किया गया है, वे सात दिनों के अंदर इस कार्य को कराना सुनिश्चित करें एवं इसका प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करें। साथ ही निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाय ताकि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

IHHL :–

- पटना नगर निगम द्वारा अभी भी 5361 शौचालय का निर्माण करवाया जाना है। निदेश दिया गया कि दिनांक 27.12.2018 तक IHHL निर्माण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट विभाग को समर्पित करें।

- बख्तियारपुर, विक्रमगंज, मोतीपुर, पकड़ीदयाल, लालगंज, लखीसराय, जमुई, शेरघाटी, नवीनगर, अररिया, फारबीसगंज, दरभंगा, बेनीपुर, रोसड़ा, कहलगाँव, सिमरीबख्तियारपुर का IHHL का निर्माण लक्ष्य की अपेक्षा काफी है। निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों द्वारा अन्य किसी योजना (HFA) आदि से यदि शौचालय निर्माण हो चुका है, तो उसे उपलब्ध कराये गये रिपोर्ट में शामिल करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि इस माह तक सभी IHHL के लाभुक (जिनके पास शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो) प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी जाये एवं पूर्ण निर्माण करवाया जाये।

Plastic Ban :–

- सभी नगर निकाय Solid Waste कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों पर प्लास्टिक कैरी बैन से संबंधित बैनर लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- अपने–अपने नगर निकाय क्षेत्रों में जितने भी प्लास्टिक कैरी बैग से संबंधित ट्रेडर्स, होलसेलर्स एवं बल्क यूजर्स को नोटिस दें एवं दिनांक 23.12.2018 से छापेमारी एवं जुर्माना का कार्य प्रारंभ कर दें।
- प्लास्टिक कैरी बैन के अंतर्गत चल रहे सारे कार्य एक माह तक लगातार जारी रखा जाय एवं इसका प्रतिवेदन विभाग को प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

AMRUT योजना –

पार्क निर्माण योजना :–

- नगर परिषद, औरंगाबाद के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अमृत योजना अन्तर्गत पार्क निर्माण का C/S विभाग में समर्पित है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधित अभिलेख BUIDCo को शीघ्र भेज दिया जाय।
- नगर परिषद, बगहा के उपस्थित प्रतिनिधि के अनुरोध पर निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी से सहमति प्राप्त कर पार्क का DPR 31.12.2018 तक समर्पित किया जाए। दिनांक 31.12.2018 तक DPR विभाग में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पार्क योजना रद्द कर दी जाएगी।
- नगर निगम, बेगूसराय के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। इन्हें निर्देश दिया गया कि पार्क निर्माण के संबंध में दिनांक 31.12.2018 तक NOC प्राप्त कर निश्चित रूप से विभाग को सूचित किया जाय। दिनांक 31.12.2018 तक विभाग में NOC प्राप्त नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत पार्क योजना रद्द कर दी जाएगी।
- नगर परिषद, बेतिया के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work 90 % पूर्ण हो चुका है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। उपस्थित पदाधिकारी द्वारा तीसरे पार्क हेतु स्थल नहीं उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी। निदेश दिया गया कि दिनांक 31.12.2018 तक बेतिया राज से NOC प्राप्त कर विभाग में समर्पित नहीं करने की स्थिति में उक्त पार्क योजना रद्द कर दी जाएगी।
- नगर निगम, भागलपुर के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क का टेंडर कर दिया गया है। उन्हें SAAP-II अन्तर्गत भैरवा पार्क के DPR का Review कर 24.12.2018 तक समर्पित करने का निदेश दिया गया। नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि के अनुरोध पर दिनांक 24.12.2018 तक जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर अन्य पार्क का DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम, छपरा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा अन्य पार्क के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता की बात कही गयी। इसके कारण पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।

- नगर निगम, गया के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि SAAP-II अन्तर्गत पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन भूमि विवाद के कारण कार्य स्थगित है। निदेश दिया कि अविलंब बाधा दूर किया जाय। SAAP-III अन्तर्गत पार्क निर्माण योजना का DPR विभाग को दिनांक 19.11.2018 को समर्पित करने की बात प्रतिनिधि द्वारा कही गयी।
- नगर परिषद, हाजीपुर के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि दिनांक–31.12.2018 तक पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी की सहमति प्राप्त कर DPR समर्पित कर दिया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी के अनुरोध पर, जिलाधिकारी की सहमति प्राप्त करते हुए 31.12.2018 तक DPR समर्पित करने का निदेष दिया गया। दिनांक- 31.12.2018 तक DPR विभाग में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पार्क योजना रद्द कर दी जाएगी।
- नगर परिषद् जमालपुर के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गयी, जिसके आलोक में पार्क योजना को रद्द करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि पार्क का SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III का समेकित DPR के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। T/S हेतु विभाग में Estimate समर्पित कर दिया गया है। निर्देश दिया गया कि सभी अभिलेख BUIDCo को उपलब्ध करा दिया जाय।
- नगर निगम, कटिहार के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई, किन्तु निविदा सफल नहीं हो सकी। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि Revised T/S हेतु Estimate BUIDCo को समर्पित किया गया है।
- नगर परिषद, मोतिहारी के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil Work प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II के अन्तर्गत T/S हेतु Estimate के त्रुटियों को दूर कर BUIDCo में समर्पित करने की बात कही गयी। अन्य पार्क योजना का DPR 31.12.2018 तक समर्पित नहीं करने की स्थिति में उक्त पार्क योजना को रद्द करने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम, मुंगेर के उपस्थित प्रतिनिधि को बताया गया कि कृष्ण वाटिका पार्क, कृष्ण सेवा सदन पार्क एवं नन्द कुमार पार्क का सी./एस. निष्पादित हो चुका है। कंपनी बाग पार्क के C/S से संबंधित सभी अभिलेख BUIDCo में भेजने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम, पूर्णिया के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अमृत योजना के SAAP-I एवं SAAP-II अन्तर्गत समेकित पार्क (गुलाब बाग पार्क) निर्माण की निविदा का C/S मुख्यालय में समर्पित कर दिया गया है। SAAP-III के अंतर्गत पार्क निर्माण/विकास की योजना 31.12.2018 तक विभाग में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त पार्क योजना रद्द करने का निदेश दिया गया।
- नगर परिषद्, सासाराम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work प्रगति में है, तथा SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण में जिला पदाधिकारी द्वारा आपत्ति के आलोक में कारवाई की जा रही है।
- नगर परिषद् सिवान के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण नहीं होने की बात कही गई तथा पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। इसके कारण SAAP- II & SAAP- III की पार्क योजना रद्द करने की अनुशंसा की गयी।
- सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-schedule items के कोटेशन हेतु प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।

जलापूर्ति योजना :–

- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.555 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 39.148 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 3770 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 46.548 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 36.700 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 8730 के विरूद्ध 2655 गृह जल संयोजन किया गया है **एवं फेज–2 में प्रावधानित** 112.620 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 10601 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि बेगुसराय जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 82.680 कि.मी. के विरूद्ध अभी शून्य कि.मी. पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 28025 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है एवं फेज–2 में प्रावधानित 87.260 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक शून्य कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 18727 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि बिहारशरीफ **जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित** 120.956 कि.मी. के विरूद्ध अभी शून्य कि.मी. पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 21524 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है एवं फेज–2 में प्रावधानित 129.290 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 18000 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–1 में प्रावधानित 57.611 कि. मी. के विरुद्ध 35.118 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 4739 के विरूद्ध 2240 गृह जल संयोजन किया गया है। इनके द्वारा फेज–1 का कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण होने की बात कही गयी। बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–2 में प्रावधानित 86.600 कि.मी. के विरुद्ध **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 8921 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 72.985 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 62.884 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 16474 के विरूद्ध 5666 गृह जल संयोजन किया गया है। छपरा जलापूर्ति योजना फेज–2 में प्रावधानित 108.362 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 16161 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज–2 का सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 76. 870 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 33374 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि डिहरी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 132.908 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 18341 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है। कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि डिहरी जलापूर्ति योजना फेज–1 में Tubewell बोरिंग एवं सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 64. 830 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 56.498 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा कुल प्रावधानित गृह जल

संयोजन 9898 के विरूद्ध 3758 गृह जल संयोजन किया गया है **एवं फेज–2 में प्रावधानित** 150.554 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 6902 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।

- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 37.002 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 18.319 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 15318 के विरूद्ध 640 गृह जल संयोजन किया गया है **एवं फेज–2 में प्रावधानित** 84.900 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 2.23 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 4900 के विरूद्ध **शून्य गृह** जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि कटिहार जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 219. 072 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **110.10** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 19865 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है **एवं फेज–2 में प्रावधानित** 64.961 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 15340 **के विरूद्ध शून्य गृह** जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि किषनगंज जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 60. 029 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 10700 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है। फेज–2 में प्रावधानित 113.230 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 6320 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 56. 909 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 14.574 कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 7428 के विरूद्ध 1067 गृह जल संयोजन किया गया है। फेज–2 में प्रावधानित 183.140 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 15741 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 184. 753 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 34955 के विरूद्ध 1830 गृह जल संयोजन किया गया है। फेज–2 में प्रावधानित 155.479 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 20048 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि **सासाराम जलापूर्ति योजना फेज–1 में** प्रावधानित 117. 008 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 9.875 कि.मी. पाईप बिछाया गया है, जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 14533 के विरूद्ध **शून्य गृह जल संयोजन** किया गया है। **फेज–2 में प्रावधानित** 58.844 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाईप बिछाया गया है, जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 6722 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BUIDCo द्वारा बताया गया कि सिवान जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49. 738 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक 45.153 कि.मी. पाइप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 10668 के विरूद्ध 4700 गृह जल संयोजन किया गया है। फेज–2 में प्रावधानित 157.516 कि.मी. के विरूद्ध अभी तक **शून्य** कि.मी. पाइप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 11804 के विरूद्ध **शून्य** गृह जल संयोजन किया गया है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि सिवान जलापूर्ति योजना फेज–2 का सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

- सभी अमृत जलापूर्ति योजनाओं की अत्यंत धीमी प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही, MD, BUIDCo को निदेश दिया गया कि सभी अमृत योजनाओं की गहन समीक्षा कर विलम्ब हेतु दोषी संवेदकों/पदाधिकारियों पर नियमानुकूल कारवाई की जाय।
- नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि Restoration कार्य को अविलंब पूरा किया जाय ताकि किसी भी प्रकार की असुवधिा एवं दुर्घटना से बचा जा सके।
- BUIDCo के अभियंताओं द्वारा सूचित किया गया कि वाटर मीटर के कारण गृह जल संयोजन का कार्य धीमा है। सभी कार्यपालक अभियंताओं को वाटर मीटर के वगैर भी गृह जल संयोजन करने का निदेश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि BUIDCo एवं ULB के पदाधिकारियों के बीच नगर निकाय में नियमित साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाय।

एफ०एस०एस०एम० कटिहार योजना :–

- नगर निगम, कटिहार के प्रतिनिधि द्वारा जमीन उपलब्ध सुनिश्चित होने की जानकारी दी गयी एवं इन्हें RFP तैयार करने का निदेश दिया गया।
- अमृत योजना अन्तर्गत सभी नगर निकायों को सभी अमृत योजनाओं के अविलम्ब 5 फोटोग्राफ Geo - Tagging करने का निदेष दिया गया।
- सभी ULB प्रतिनिधि एवं BUIDCo को निदेष दिया गया कि Water Supply Project के SLIP के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार में समर्पित किया जाय।

HFA योजना –

Housing for All Plan of Action (HFAPoA)

- सभी परामर्शी संस्था को निदेश दिया गया कि वैसे नगर निकाय जहाँ Demand Survey का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनका HFAPoA एवं AIP हर हाल में एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध करा दें। साथ ही वैसे निकाय, जहाँ Demand Survey का कार्य प्रगति पर है, उन नगर निकायों में हर हाल में दिनांक 31.12. 18 तक सर्वे पूर्ण कराकर उनका HFAPoA एवं AIP विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- वैसे निकाय, जहॉ काफी समय से HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पारित हेतु लंबित है, उन निकायों को इस माह के अन्त तक बोर्ड की बैठक बुलाकर HFAPoA एवं AIP पारित करवाने का निदेश दिया गया।

BLC Sanctioned Projects -

- नगर निकाय द्वारा BLC घटक में स्वीकृत परियोजनाओं के शत–प्रतिशत लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS प्रविष्टि, DPR से Attachment एवं AADHAAR Seeding नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति नहीं की जा रही है, फलस्वरूप योजना की प्रगति बाधित हो रही है, साथ ही राज्य को वित्तीय क्षति हो रही है।

  सभी नगर निकायों को स्वीकृत परियोजनाओं के शत–प्रतिशत लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS प्रविष्टि, DPR से Attachment एवं AADHAAR Seeding Roster के माध्यम से विभाग में आकर 15 दिसम्बर तक हर हाल में पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। पुनः वैसे नगर निकाय, जिनके द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, उन्हें इस माह के अंत तक कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित करने का बार बार निदेश दिया गया है।
- परामर्शी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराये गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी पत्रांक 1613 दिनांक

10.07.2018 के माध्यम से प्रस्ताव की मांग की गयी थी, लेकिन अधिकांश निकायों द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि नगर निकायों द्वारा मांग के अनुरूप प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाय।

- नगर निकायों को यह निदेश दिया गया कि पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में शत–प्रतिशत आवासीय इकाईयों पर कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाय। यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया।

NULM योजना :–

EST&P -

- छपरा नगर निगम को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र SDCs के लंबित Invoice को निष्पादन किया जाए।
- सभी नगर निकायों को यह निदेशित किया गया कि SDCs के द्वारा प्राप्त Invoice को विभागीय नियमों के आलोक में एक माह के अन्दर निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।

SM&ID -

- Revolving Fund हेतु सभी निकायों को निदेशित किया गया कि जिन निकायों में भी लंबित मामले है उन्हें यथाशीघ्र विभागीय नियामानुसार कैम्प लगा कर वितरित किया जाए तथा बैंको के साथ समन्वय स्थापित कर इन सभी को SHGs Bank Linkage उपलब्ध कराया जाए।
- जिन नगर निकायों में अभी तक COs एवं CRP का चयन नही किया उन नगर निकाय जल्द से जल्द चयन कर लिया जाए।
- जिन नगर निकायों में ALO का गठन कर लिया गया है, वहॉ कई निकायों मे ALO का पंजीकरण लम्बित पाया गया एवं पंजीकृत ALO, जिनको चक्रचालित राशि (Revolving Fund) अबतक नही दी गयी है उन सभी नगर निकायों को इस कार्य के निष्पादन हेतु निदेश दिया गया।

SEP -

- Interest subvention हेतु निदेश दिया गया कि नगर निकाय स्तर पर Verification नगर मिशन प्रबंधक के स्तर तथा Approval नगर आयुक्त एवं कार्यापालक पदाधिकारी के स्तर से किया जाना है। जो भी लाभुक DAY-NULM योजना से संबंधित ना हो या उनकी सूची नगर निकायों पर उपलब्ध नही है, उन सभी आवेदनो को निरस्त/अस्वीकृत किया जाना है।
- सभी बैंकों को निकाय स्तर से पत्र के माध्यम से लाभुकों की सूची उपलब्ध करायी जानी है तथा सभी नगर मिशन प्रबंधक को अपने स्तर से यह निदेश दिया जाना है कि बैंको मे स्वयं जाकर यह सुनिश्चित करें की DAY-NULM से संबंधित लाभुक की प्रविष्टि ही की जाय।

SUSV -

- सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया की उनके द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत फूटपाथी विक्रेताओं की विवरणी यथाशीघ्र विभाग को उपल्बध करायें।
- मोतिहारी नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी को यथाशीघ्र अतिक्रमित स्थल को खाली कराया जाए एवं विभाग को सूचित करें।

SUH -

- सभी नगर निकाय, जहॉ SUH का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उन्हे निदेशित किया गया कि इसे यथाशीघ्र संचालित कराना सुनिश्चित करें।

Other -

- DAY-NULM के शहरी समृद्वि उत्साह का आयोजन 1 से 15 फरवरी, 2019 के बीच सभी नगर निकायो के द्वारा किया जाना है। सभी नगर निकायों को निदेशित किया गया कि इसका आयोजन विभागीय पत्र के आलोक में कराना सुनिश्चित किया जाए।

नाली–गली निश्चय योजना :–

- पटना नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि 6 वार्ड पूर्व से संतृप्त होने की वजह से 75 लक्षित वार्ड में से 69 में ही निविदा निष्पादित हुई है एवं कार्यारम्भ हुआ है।
- खगौल नगर परिषद, जहानाबाद नगर परिषद एवं नवादा नगर परिषद में एक–एक वार्ड के संतृप्त रहने की वजह से लक्षित वार्डों की संख्या एवं निविदित वार्डों की संख्या में अन्तर है।
- डेहरी डालमियानगर में अब सभी 38 वार्डों में निविदा निकाली जा चुकी है। रक्सौल नगर परिषद में सभी 25 वार्डों में कार्यारम्भ किया जा चुका है।
- महुआ नगर पंचायत में सभी 16 वार्डों में निविदा की प्रक्रिया पूरी कर कार्यारम्भ हो चुका है।
- बीहट नगर परिषद में भी सभी 28 वार्ड में निविदा कार्य पूर्ण है। अब 7826 लक्षित योजनाओं में से निर्मित पूर्ण योजनाओं की संख्या 5700 है।

नल–जल निश्चय योजना :–

- **बख्तियारपुर नगर परिषदः–** निकाय के 12 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 एवं 15 वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। निकाय द्वारा सभी वार्डों में निविदा प्रक्रिया पूर्ण है। अद्यतन कुल गृह जल संयोजन 3660 है। 3000 और गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है, जिसे मार्च से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा।
- **विक्रमगंज नगर परिषदः–** नगर परिषद के 27 वार्डों में से 17 वार्डों में निकाय द्वारा कार्य किया जाना है। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं है। पी0एच0ई0डी0 से समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया गया।
- **कांटी नगर पंचायतः–** निकाय के 12 वार्डों में से 10 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है तथा 2280 गृह जल संयोजन अद्यतन किया गया है, जिसमें से 07 वार्ड में कार्य पूर्ण है। शेष 2 वार्ड का निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया।
- **मुजफ्फरपुर नगर निगमः–** नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि extension of pipe line योजना के तहत् 1349 गृह जल संयोजन का कार्य किया गया है। उन्हें कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
- **अरेराज नगर पंचायतः–** निकाय के सभी वार्डों में कार्य प्रारम्भ है, परन्तु अद्यतन 745 गृह जल संयोजन हो पाया है। कार्यपालक पदाधिकारी को संवेदकों के विरूद्ध कार्य में शिथिलता बरतने के लिए एकरारनामा के कंडिका के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाई करने का निदेश दिया गया।
- **चकिया नगर पंचायतः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 के पदाधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण प्रगति नहीं हो पा रहा है। उन्हें संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।
- **नरकटियागंज नगर परिषदः–** कार्य के प्रगति शून्य होने के कारण काफी क्षोभ व्यक्त किया गया। वर्त्तमान स्थिति पिछले तीन माह से यथावत है। उपस्थित प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि कार्य में प्रगति नहीं होने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी को चिन्हित कर विभाग को सूचित किया जाय।

- **चनपटिया नगर पंचायतः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 04 बार निविदा निकाली गई, परन्तु कोई निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया जा रहा है। उन्हें बी0आर0जे0पी0 सम्प्रति बुडको के अभियंताओं से समन्वय स्थापित कर निविदाकारों से संबंधित समस्या का समाधान निकालने हेतु निदेश दिया गया।
- **गोगरी जमलापुर नगर पंचायतः–** कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन वार्डों में पी0एच0ई0डी0 का कोई issue नहीं है, वहां तेजी से कार्य पूर्ण कराए।
- **शेरघाटी नगर पंचायतः–** निकाय में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्य में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जिस पर रोष प्रकट किया गया तथा शीघ्र कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।
- **नवीनगर नगर पंचायतः–** 09 वार्डों की निविदा की प्रक्रिया पूर्ण है तथा 05 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है। कार्यपालक पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने के लिए निदेश दिया गया।
- **मखदुमपुर नगर पंचायतः–** 08 वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। अद्यतन गृह जल संयोजन निकाय द्वारा 1280 किया गया है तथा 03 वार्ड पूर्णतया आच्छादित है। शेष 12 वार्डों में बुडको द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- **फारबिसगंज नगर पंचायतः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 17 वार्डों में पी0एच0ई0डी0 को आंशिक जलापूर्ति 50 वर्ष पुराने योजना से है। 04 ओभरहेड टैंक की स्थिति जर्जर है। निकाय द्वारा 08 वार्डों में निविदा की गई तथा 2 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। कार्य में संवेदकों द्वारा शिथिलता बरतने के कारण उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।
- **जोगबनी नगर पंचायतः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निविदा में कोई भी निविदाकार भाग नहीं लिया जा रहा है। उन्हें संवेदकों के साथ समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।
- **सुपौल नगर परिषदः–** निकाय द्वारा किए जा रहे 12 वार्डों में से सभी में कार्य प्रारम्भ है तथा 2 वार्ड पूर्णतया नल–जल से आच्छादित है। गृह जल संयोजन की संख्या निकाय द्वारा 900 है।
- बैठक में कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कार्य में शिथिलता बरतने वाले संवेदकों के विरूद्ध F_2 एकरारनामा के कंडिका के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई करें तथा liquidated damage काटे। साथ ही बुडको द्वारा किए जा रहे कार्यों में आवंटन अवश्य उपलब्ध करावें।
- समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि संवेदक कार्य आवंटन पत्र में दिये गये निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं करते है एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी इस संबंध में शिथिलता बरती जाती है। निदेश दिया जाता है कि कार्य आवंटन में दिये गये निदेश के अनुरूप कार्यपालक पदाधिकारी संवेदक के साथ एकरारनामा कर निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण करायें।
- ससमय एकरारनामा नहीं करने वाले संवेदक के विरूद्ध कठोर कार्रवाई यथा अग्रधन की राशि जब्त करने तथा समयावधि पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदकों के विपत्र से एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार liquidated damage की राशि की कटौती की जाय।
- संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत तत्कालीन बी0आर0जे0पी0 सम्प्रति बुडको द्वारा किये जा रहे जलापूर्ति योजनाओं के लिए नगर निकायों को आवंटित राशि शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

<u>अव्यवहृत राशि जमा कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना</u> :–

- गत मासिक बैठक में नगर निकायों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक सहायक अनुदान मद की आवंटित राशि जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है और निकायों के पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उस राशि को 10 दिनों के अंदर सरकार के

संबंधित शीर्ष में चलान के माध्यम से जमा कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र 15 दिनों के अंदर विभाग को समर्पित किया जाए, परन्तु उक्त निदेश का पालन किसी भी नगर निकायों के पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया जिसके लिए क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा गया कि पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ी हुई राशि को इस माह के अंत तक सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित किया जाए अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अंकेक्षण अनुपालन की स्थिति :–

- नगर निकायों के पदाधिकारियों के साथ निकायवार लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी कुछेक नगर निकायों में 3 या उससे अधिक अंकेक्षणों का अनुपालन प्रतिवेदन लंबित है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

  बांका–3, ढाका–3, टेकारी–3, कसवा–3, बेतिया–5, डुमरांव–3, सहरसा–3, मधेपुरा–4, मसौढ़ी–4, सीतामढ़ी–3, बगहा–4, अरवल–3, सिवान–3, मोतिहारी–3 छपरा–3, पटना–8 एवं भागलपुर–3।

  उक्त निकायों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि लंबित अंकेक्षणों का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2019 तक महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को निश्चित रूप से भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करा दे अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्र :–

- नगर निकायों में लंबित ए०सी०/डी०सी० राशि के संबंध में गत मासिक समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित सभी संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि लंबित ए०सी० राशि का डी०सी० विपत्र तैयार कर महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना को प्रेषित करें तथा महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना से सम्पर्क कर डी०सी० विपत्र का सामायोजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र 15.12.2018 तक विभाग को उपलब्ध करा दें। किन्तु इसके वावजूद किसी भी नगर निकायों से लंबित ए०सी०/डी०सी० राशि का समायोजन पत्र विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस पर खेद व्यक्त करते हुए पुनः इस विषय पर दिनांक 10.01.2019 तक लंबित ए०सी०/डी०सी० राशि का समायोजन पत्र विभाग को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित नगर निकायों को निदेश दिया गया है।

सी0ए0जी0 के लंबित कंडिकाओं की स्थिति :–

- **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007–08 की कंडिका–5.8.2 (अग्रिमों का असमायोजन) से संबंधित निम्नलिखित नगर निकायों के पास अग्रिम समायोजन हेतु राशि लम्बित है :–**

  बोधगया–7.23 लाख, बक्सर–164.00 लाख, गया–251.00 लाख, मधुबनी–45.14 लाख, जयनगर–73.44 लाख (श्री सुर्यदेव सिंह अमिन के पास), 3.21 लाख (श्री विमल कुमार चौधरी के पास), 1. 88 लाख (श्री जर्नादन सिंह के पास) कहलगांव–1.94 लाख, किशनगंज–3.43 लाख, बाँका–1.65 लाख, मुजफ्फरपुर–94.35 लाख, सिवान–157.51 लाख एवं जगदीशपुर–0.33 लाख।

- **स्थानीय लेखा परीक्षा, बिहार का 31 मार्च– 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) की कंडिका– 8.1 (राजस्व के दुर्विनियोजन) से संबंधित राजस्व के दुर्विनियोजन संबंधी आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन निम्न नगर निकायों से अब तक अप्राप्त है :–**

  नगर निगम बेगूसराय–36,92,604 रू0, नगर परिषद फुलवारीशरीफ–4,41,697 रू0, नगर परिषद अररिया–3,11,172 रू0, नगर परिषद गोपालगंज–81,23,612 रू0, नगर परिषद जमुई–1,45,920 रू0, नगर पंचायत घोघरडीहा–6,04,233 रू0, नगर पंचायत मखदुमपुर–23,630 रू0 तथा नगर पंचायत सुगौली–5,13,984 रू0।

- **कंडिका– 8.3 (वर्ष 2012–13 स्थानीय निकाय)– अनुदान का अवरोधन से संबंधित निम्नलिखित नगर निकायों द्वारा आपत्ति का अनुपालन किया जाना है :–**

  घोघरडीहा–रू0 28.88 लाख, गोगरीजमालपुर–रू0 28.88 लाख, हिलसा–28.88 लाख, जमुई–38.79 लाख, मीरगंज–28.88 लाख, नोखा–28.88 लाख, फुलवारीशरीफ–38.79 लाख, सिलाव–28.88 लाख एवं सिवान–38.79 लाख। किसी से भी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

- **कंडिका– 8.4 (वर्ष 2012–13 स्थानीय निकाय) से संबंधित निम्नलिखित नगर निकायों द्वारा राजस्व/लंबित किराया की वसूली नहीं किया गया :–**

  आरा–रू0 81.96 लाख, बाँका–रू0 19.77 लाख, दरभंगा–रू0 320.10 लाख, कहलगाँव–रू0 16.87 लाख, मधुबनी–रू0 53.87 लाख, मीरगंज–रू0 4.35 लाख, नवादा–रू0 22.93 लाख, पटना–रू0 338.95 लाख, पीरो–रू0 0.80 लाख, पूर्णियाँ–रू0 722.37 लाख, रामनगर–रू0 6.67 लाख, शेखपुरा–रू0 43.76 लाख, सिवान–रू0 95.30 लाख, बेगूसराय–रू0 41.80 लाख, बेतिया–रू0 72.34 लाख, बिहारशरीफ–रू0 339.32 लाख, डुमराँव–रू0 1.09 लाख, फतुहा–रू0 16.49 लाख, गया–रू0 21.30 लाख, हिलसा–रू0 20.85 लाख, जगदीशपुर–रू0 6.70 लाख, जहानाबाद–रू0 125.94 लाख, जमुई–रू0 24.90 लाख, केसरिया–रू0 0.39 लाख, खगड़िया–रू0 27.11 लाख, किशनगंज–रू0 12.07 लाख, लखीसराय–रू0 28.13 लाख, मोकामा–रू0 75.87 लाख, मुंगेर–रू0 984.75 लाख, मुजफ्फरपुर–रू0 415.54 लाख, फुलवारीशरीफ–रू0 9.19 लाख। किसी भी नगर निकाय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है।

- **कंडिका– 8.4.3 (वर्ष 2012–13 स्थानीय निकाय) से संबंधित निम्नलिखित नगर निकायों द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि को संबंधित सरकारी खाते में जमा नहीं किये जाने के आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन निम्न नगर निकायों से अप्राप्त है :–**

  बाँका–रू0 1.63 लाख, भागलपुर–रू0 66.44 लाख, चकिया–रू0 5.69 लाख, दानापुर–रू0 54.90 लाख, दरभंगा–रू0 63.17 लाख, हिलसा–रू0 0.58 लाख, जमुई–रू0 5.59 लाख, जनकपुर रोड–रू0 1.66 लाख, झाझा–रू0 6.70 लाख, कहलगांव–रू0 8.73 लाख, कांटी–रू0 3.37 लाख, कसबा–रू0 0.19 लाख, लालगंज–रू0 1.42 लाख, नवगछिया–रू0 0.81 लाख, नवादा–रू0 57.15 लाख, नोखा–रू0 0.01 लाख, पूर्णियाँ–रू0 188.57 लाख, रक्सौल– रू0 7.08 लाख, सिवान–रू0 33.67 लाख, सुलतानगंज–रू0 4.82 लाख।

- **कंडिका– 8.4.4 (वर्ष 2012–13 स्थानीय निकाय) से संबंधित निम्नलिखित नगर निकायों द्वारा लंबित अग्रिम की वसूली संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है :–**

  बख्तियारपुर–रू0 1.60 लाख, बाँका–रू0 12.62 लाख, बनमनखी–रू0 38.20 लाख, चकिया–रू0 82.17 लाख, दानापुर–रू0 20.86 लाख, घोघरडीहा–रू0 2.93 लाख, झाझा–रू0 2.30 लाख, कहलागांव–रू0 2.10 लाख, काँटी–रू0 0.17 लाख, मीरगंज–रू0 3.45 लाख, नवगछिया–रू0 1.59 लाख, नवादा–रू0 25.33 लाख, नौखा–रू0 8.50 लाख, पटना रू0 15.94 लाख, पीरो–रू0 3.27 लाख, शेखपुरा–रू0 1.43 लाख, सिलाव–रू0 2.16 लाख, सोनपुर–रू0 3.76 लाख, समस्तीपुर–रू0 46.95 लाख, सुलतानगंज–रू0 9.20 लाख।

<u>स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार का 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) से संबंधित नगर निकायों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवदेन की स्थिति निम्नवत्त है</u> :–

- **कंडिका– 7.8.1 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)– अनुदानों की विमुक्ति एवं उपयोगिता–** गया नगर निगम को वर्ष 2010–11 से 2013–14 के बीच अनुदान की कुल राशि 15.64 करोड़ के विरूद्ध व्यय राशि– 14.34 करोड़ था। निगम से अव्ययित राशि का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

- **कंडिका– 7.8.5 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)– ठो०अ०प्र० के लिए निधि आवंटन एवं उपयोगिता–** गया नगर निगम को ठो०अ०प्र० मद में वर्ष 2010–14 के दौरान कुल अनुदान राशि 15.64 करोड़ के विरूद्ध व्यय की राशि 14.35 करोड़ था। निगम को अव्ययित राशि का स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। निगम ने अनुदान की राशि को पी0एल0 खाता के अतिरिक्त दो बैंक खाता में रखा गया तथा वर्ष 2010–11 से रोकड़ शेष का समाधान संबंधित बैंक खाता से नहीं किया गया। मार्च 2014 तक अंतर राशि रू0 4.52 करोड़ था जिसे रोकड़ शेष एवं बैंक खाता से समाशोधन कराकर उससे संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।
- **कंडिका– 7.8.6 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)– नलीकृत जलापूर्ति–** नगर निगम गया ने पानी टंकी के साथ चापाकल अधिष्ठापन एवं इसके रख–रखाव के मद के लिए रू0 1.13 करोड़ व्यय किया गया जो सरकारी दिशा–निर्देश के विपरीत है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।
- **कंडिका– 7.8.7 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)– रैन बसेरा/वृद्धाश्रम का निर्माण–** लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपयोगिता के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र होने के बावजूद गया नगर निगम ने इस क्षेत्र पर कार्य नहीं किया। निगम को 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग ठो०अ०प्र० के कार्यों पर व्यय करने एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- **कंडिका– 7.8.8 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)–** गया नगर निगम ने वर्ष 2010–11 के दौरान 13 वें वित्त आयोग की राशि रू0 4.99 लाख सड़क निर्माण पर खर्च किया जो सरकार के दिशा–निर्देश के विपरीत था, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।
- **कंडिका 7.8.9 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)– लंबित अग्रिम–** नगर निगम गया ने वर्ष 2012–13 के दौरान अपने कर्मचारियों को रू0 14.75 लाख का अग्रिम का भुगतान किया गया जो लंबित था। निगम को संबंधित कर्मी से लंबित अग्रिम राशि का सामंजन कर उसका अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- **कंडिका 7.8.10 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)–** गया नगर निगम द्वारा वर्ष 2013 में 13 वें वित्त आयोग की अनुदान राशि रू0 74.04 लाख से कुड़ादान/डम्पर का क्रय किये जाने के बाद से ही निष्क्रिय पड़ा हुआ था, इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।
- **कंडिका 7.9.1 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)** – नगर निगम मुजफ्फरपुर को वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 के दौरान अनुदान मद की राशि रू0 10.54 करोड़ के विरूद्ध व्यय राशि रू0 7.74 करोड़ था, जो उपयोगिता की राशि का 54 प्रतिशत था। साथ ही अनुदान राशि को पी0एल0 खाता के अतिरिक्त दो बैंक खाताओं में रखा गया तथा वर्ष 2010–11 से रोकड़ शेष का समाधान उनके बैंक खाताओं से नहीं किया गया। शेष अव्ययित राशि तथा रोकड़ शेष का समाधान से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।
- **कंडिका– 7.9.6.1 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)** – नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा ठो.अ.प्र. की राशि रू0 37. 32 लाख का व्यय शहरी स्थानीय निकाय स्थापना (दैनिक मजदूरी) पर किया गया, जो सकारी दिशा–निर्देश का उल्लंघन है। इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।
- **कंडिका– 7.9.6.2 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)** – नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा वर्ष 2012–14 के दौरान ठो०अ०प्र० मद के तहत फर्म को रू0 5.17 करोड़ का भुगतान सिर्फ अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन एवं भण्डारण संबंधी कार्यों के लिए किया गया। इस प्रकार ठो०अ०प्र० के सभी क्षेत्रों के कार्य नहीं किये गये। सरकारी दिशा–निर्देश के विरूद्ध है। इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।
- **कंडिका– 7.9.6.3 (वर्ष 2013–14 स्थानीय निकाय)** – नगर निगम मुजफ्फरपुर के समीक्षा में पाया गया कि निगम के नलीकृत जलापूर्ति पर कोई व्यय नहीं किया गया है और इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।

होल्डिंग टैक्स :–

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ ही निकायों द्वारा प्रथम चार माह में संतोषजनक वसूली की गई है, लेकिन अधिकांश निकायों की होल्डिंग टैक्स वसूली संतोषजनक नहीं है। कुछ निकायों यथा नगर परिषद, मोकामा तथा नगर पंचायत घोघरडीहा, बारसोई, कसवा, बेलसंड, अरेराज एवं एकमा बाजार आदि की राजस्व प्राप्ति असंतोषजनक है। इसके अतिरिक्त नये परिसम्पत्तियों पर भी होल्डिंग टैक्स प्राप्ति की कार्रवाई का निदेश दिया गया।

Revenue (Other Sources) -

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अन्य स्रोतों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस, दुकान विज्ञापन कर, बस स्टैण्ड, अन्य सैरात, म्यूटेशन कर, मकान स्वीकृति कर इत्यादि से संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गई। उन्हें अद्यतन वसूली प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि अन्य स्रोत से राजस्व प्राप्ति की जानकारी हो सके।
- ऐसे मामले सामने आए कि कुछ नगर निकायों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सफाई आदि का कार्य कराया जा रहा है। वैसे नगर निकायों को सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- एम0आई0एस0 को भी निदेशित किया गया है कि नगर निकायों से प्राप्त सूचना का मिलान कर आंकडे को दुरूस्त करें।
- जिन–जिन नगर निकायों से पंचम/षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन नगर निकायों से शीघ्र अनुशंसा भेजे जाने का निदेश दिया गया है।
- वैसे नगर निकाय, जहाँ से वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें शीघ्र बजट प्राक्कलन एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

27/12/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–3329 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 28/12/18

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/MIS Cell/SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/2018

प्रधान सचिव